रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2014/चैत्र 13, 1936
No. 70] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2014/CHAITRA 13, 1936

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2014

आ.अ. 91 (अ).–यतः, मणिपुर में 14 निर्दिष्ट शिविरों में रह रहे भूमिगत प्रचालन का आस्थगन (एस ओ एस) समूहों से संबंधित अनेक व्यक्ति, मणिपुर राज्य के विभिन्न विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत किए गए हैं; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे निर्वाचकों के मताधिकार और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये निर्वाचक उक्त विनिर्दिष्ट शिविरों से बाहर नहीं जा सकते हैं, यह निदेश दिया है कि इन निर्वाचकों को डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की अनुमति दी जाएगी;

अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के दिनांक 27 मार्च, 2014 के पत्र सं. एच. 11019/10/2013–विधायी –II द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, एतदद्वारा, मणिपुर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न विधान सभा निर्वाचन खण्डों में पंजीकृत पूर्वोक्त ऐसे निर्वाचकों को जो वर्तमान में अपने सामान्य निवास स्थान से दूर प्रचालन का आस्थगन (एस ओ एस) समूहों के विभिन्न निर्दिष्ट शिविरों में निवास कर रहे हैं, विभिन्न विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से वर्तमान लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2014 में डाक मत–पत्र द्वारा अपना मत देने के लिए अधिसूचित किए गए व्यक्तियों की श्रेणी के रूप में अधिसूचित करता है, बशर्ते कि वे उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

[सं. 464/मणिपुर/2014]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2014

O. N. 91(E). —Whereas, a number of persons belonging to the underground Suspension of Operation (SoO) groups living in the 14 designated camps in Manipur have been enrolled in the electoral rolls of various Assembly Constituencies in the State of Manipur; and

Whereas, the Election Commission of India has, having regard to the right of franchise of such electors and taking into account the fact that these electors cannot move out of the said designated camps, directed that these electors shall be allowed to vote by Postal Ballot;

Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of powers conferred by clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951 and in consultation with the Central Government vide the Ministry of Law and Justice, Legislative Department letter No.H-11019(10)/2013-Leg-II dated 27/3/2014, hereby notifies the aforementioned electors enrolled in different Assembly segments of Parliamentary Constituencies in Manipur and who are presently residing in various designated camps of Suspension of Operation (SoO) groups outside their place of ordinary residence, as the notified class of persons to give their votes by Postal Ballot at the current General Election to House of People, 2014, from the various Legislative Assembly Constituencies, subject to the fulfillment of the requirements specified in the rules made under the said Act.

[No. 464/MR/2014]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.